भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3413

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

काजू आयात पर सीमा शुल्क

†3413. श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन दिया है कि सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा न्यूनतम आयात मूल्य के 70 प्रतिशत और मूल सीमा शुल्क का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस तरह के आयातों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए शेल काजू गिरी (छिलका सहित), भूसी और अन्य उत्पादों के लिए पृथक एचएस कोड शुरू करने तथा न्यूनतम आयात मूल्य अधिरोपित करने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी हाँ।

(ख): अधिसूचना सं. 25/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 06.07.2019 के द्वारा काजू गिरी, टूटी हुई, [08013210], काजू साबुत [08013220] और अन्य [08013290] पर आधारभूत सीमाशुल्क को बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया है। हालांकि, ICEGATE system में असावधानीपूर्ण त्रुटि आ जाने के कारण उपर्युक्त जिन्स पर टैरिफ दर 30% प्रकट हुई है।

(ग): इस त्रुटि को ठीक कर लिया गया है और इस बाबत प्रणाली महानिदेशालय ने ICES Advisory No. 28/2019 जारी कर दी है। इसके अलावा सदस्य (कर नीति) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने दिनांक 28.10.2019 को सभी मुख्य आयुक्तों को अर्धशासकीय पत्र लिखकर उनको ऐसे मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा है।

(घ): काजू निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि काजू की गिरी, उसकी भूसी और उसके अन्य उत्पादों के लिए अलग से एचएस कोड जारी किए जाएं।

(ङ): भारत के काजू निर्यात संवर्धन परिषद ने काजू उत्पादों के लिए नए एचएस कोड बनाए जाने के लिए अनुरोध किया है। इस अनुरोध का ब्यौरा इस प्रकार हैः

(i) काजू निर्यात संवर्धन समिति ने अनुरोध किया है कि काजू भूसी के लिए अलग के एचएस कोड जारी किया जाए और इसमें उसने यह बताया है कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और इससे गलत घोषणा किए जाने का अवसर मिलता है और काजू नट्स और इसके हस्क (भूसी) के लिए एक ही एचएस कोड (08013100) का प्रयोग होने के कारण काफी मात्रा में शुल्क का अपवंचन हो रहा है।

(ii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद ने अनुरोध किया है कि "रोस्टेड काजू" की मद को अलग रखा जाए, क्योंकि साधारण काजू गिरी की बड़ी मात्रा में "रोस्टेड काजू" के नाम से आयात किया जा रहा है।

इस बाबत एचएस कोड के सृजन/संशोधन पर विचार किया जा रहा है। विचार किए जाने के पश्चात, यदि आवश्यक हुआ तो, अगले संसदीय बजट सत्र के दौरान इस एचएस कोड में आवश्यक परिवर्तन किए जाने पर विचार किया जाएगा।

*****